न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 43/2022
अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।
2. भानीराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. मंगला पुत्र माला जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

3. इन्द्र कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।
4. महावीर पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।
5. विनोद कुमार पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।
6. गीता पुत्री लादुराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।
7. परमेश्वरी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्राथी

निर्णय **दिनांक:** 26/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 167/68 के ख0न0 13/1 की कुल 5.0600 हैक्ट कृषि भूमि सायलान व तरतीबी गैरसायलान संख्या 3 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 175/145 के खसरा न0 13/4 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि असल गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व तरतीबी गैरसायल अपनी कृषि भूमि बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 167/68 के खसरा न0 13/1 की कुल 5.0600 हैक्ट कृषि भूमि में जाने के लिए मंजूरशुदा रास्ता से होते हुए असल गैरसायल संख्या 1 के खेत के खसरा न0 13/4 की कुल 4.2240 है0 के मिन मध्य की 1 –1/2 गट्ठा भूमि में से होते हुए अपने खेत के खसरा न0 13/1 में प्रवेश करते है जिसमें पानी की पक्की डिग्गी बनी हुई है तथा खेत में ढाणी बनी और इसी रास्ते से सदामत से आवागमन करते चले आ रहे है। [illegible] में वादी एवं प्रतिवादी के खसरे बने है प्रतिवादी का खसरा सड़क के साथ लगता [illegible] सायलान व तरतीबी गैरसायलान के अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। [illegible] सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त रास्ता पर काफी वर्षो से आपसी सहमतिसे आवागमन होता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नही होने के कारण असल गैरसायल हमेशा रास्ता बंद करने की धमकिया देता रहता है यदि ऐसा हो गया तो सायलान व व तरतीबी गैरसायलान अपने खेत में आवागमन नही कर सकेंगे और फसल काश्त करते में परेशानी होगी और बुवाई नही हो पायेगी तथा खेते में पानी की पक्की डिग्गी बनी हुई है तथा सायलान की अपने खेत में ढाणी बनी हुई है इसलिए सायलान असल गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

सायलान व तरतीबी गैरसायलान स्वीकृतशुदा रास्ता से होतु असल गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 175/145 के खसरा न0 13/4 की कुल 4.2240 हैक भूमि के मिन मध्य की 1–1/2 गट्ठा चौड़ा रास्ता की भूमि में से होते हुए अपने खेत खाता संख्या 167/68 के खसरा न0 13/1 में पंहुचते है जिसे सायलान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसके बदले में सायलान असल गैरसायल को अपने खेत के खसरा न0 13/1 के मिन पश्चिम में रास्ता व उत्तर में डिग्गी का रकबा छोड़कर 1–1/2 गट्ठा भूमि जो असल गैरसायल के चिपती हुई है देने को तैयार है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 19 दिनांक 09.01.2023 को रास्ता के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई कि प्रार्थी को उक्त रास्ता दिया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी जमीन के बदले जमीन देने हेतु तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया की जहां से रास्ता चाहा गया है वहां उत्तरदाता की ढाणी बनी हुई है। उक्त रास्ता खेत के बीचों बीच चाहा गया है तत्पश्चात पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा (समझौता) पेश किया गया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 167/68 के खसरा न0 13/1 की कुल 5.0600 हैक भूमि राजेन्द्र कुमार, विनोद कुमार, गीता पुत्री लादुराम, परमेश्वरी पत्नी लादुराम, भानीराम, इन्द्र कुमार, महावीर पुत्रगण हेतराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 175/145 के खसरा न0 13/4 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि मिकर मंगलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि के रास्ता बाबत एक वाद राजेन्द्र कुमार आदि बनाम मंगलाराम आदि न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर में जैरकार है जिसमें हम सभी पक्षकारान के बीच राजीनामा (समझौता) निम्न प्रकार से हुआ है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 175/145 के खसरा न0 13/4 के दक्षिण दिशा में बालासर से रातुसर जाने वाली पक्की सड़क से चलकर अप्रार्थी स0 2 की ढाणी तक 1–1 गट्ठा चौड़ा रास्ता आता है जो कि मौके पर चालु है जिसे आगे खसरा न0 13/1 जो कि राजेन्द्र आदि के खेत तक स्वीकृत किया जावे उक्त रास्ता स्वीकृत करने मे अप्रार्थी स0 1 पूर्णतया सहमत है तथा उक्त रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी स0 1 को किसी भी प्रकार की भूमि व रास्ता की एवज में कोई भूमि नहीं चाहता है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसलिए अप्रार्थी स0 1 के खेत के खसरा न0 13/4 के पूर्वी दिशा में बालासर से रातुसर जाने वाली पक्की सड़क से अप्रार्थी स0 1 की ढाणी से होते

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested

हुए राजेन्द्र आदि के खेत के खसरा न0 13/1 तक 1-1 गट्ठा चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाता है है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायल स0 1 का रास्ता के संबंध में राजीनाम हो चुका है मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधिवक्ता गैरसायल ने भी मुताबिक राजीनामा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। सायल एवं गैरसायल दोनों एक दुसरे के खेत पड़ौसी है। सायल अपने खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान एवं गैरसायल स0 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है, मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल व गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल स0 1 की आपसी राजीनामा के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन तथा सायल एवं गैरसायल स0 1 की आपसी राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बालासर के खसरा न0 13/4 के पूर्वी दिशा में बालासर से रातुसर जाने वाली पक्की सड़क से अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी से होते हुए राजेन्द्र आदि के खेत के खसरा न0 13/1 तक 1-1 गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested